

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल


कमांक/बी-6/नियमन/उपविधि संशो./214/1522 भोपाल, दिनांक 15/03/2019

-:: आदेश ::-

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (कमांक 24 सन् 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में अधिसूचित कृषि उपजों की बेहतर नियमन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से कृषि उपज मण्डी समिति से यह अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समिति का सम्मेलन आहूत कर, मण्डी समितियों के लिये लागू उपविधि सन् 2000 में संलग्न परिशिष्ट (पृष्ठ कमांक 01 से 09 तक) संशोधन कर नवीन उपबंध अनिवार्य रूप से स्थापित करे।

मण्डी समिति में सम्मेलन आहूत करने की विनिर्दिष्ट कालावधि में मण्डी समिति द्वारा उपविधि एवं प्ररूपों को उपरोक्तानुसार संशोधित करने में असफल रहने की स्थिति में उपविधि एवं प्ररूप के उक्त संशोधन इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनांक 01/04/2019 से मण्डी समिति पर आबद्धकर होंगे।


संलग्न :- परिशिष्ट (पृष्ठ कमांक 01 से 09 तक)


(फैज अहमद किदवाई)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बी-6/नियमन/उपविधि संशो./214/1523 भोपाल, दिनांक 15/03/2019
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. अपर संचालक/संयुक्त संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय।
3. संयुक्त/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)। उपविधि में उपरोक्त संशोधन विनिर्दिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलम्ब प्रेषित करे।
4. चीफ प्रोग्रामर (एम.आई.एस.) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही करे।
5. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला..... (समस्त)। उपविधि में उपरोक्त संशोधन विनिर्दिष्ट कालावधि में नियमानुसार स्थापित किया जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय को अविलम्ब प्रेषित करे।
6. गार्ड फाइल/प्रांगण शाखा/लेखा शाखा/स्टोर शाखा।


आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

उपविधि में प्रस्तावित संशोधन

क.	कण्डिका क्रं.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
1	अध्याय 2 मण्डी समिति के सम्मेलन एवं कार्य की उपधारा (4) के स्थान पर स्थापित किया जाये।	सम्मेलन के प्रकार एवं विषय सूची :- मण्डी समिति का सम्मेलन साधारण अथवा विशेष हो सकेगा। सम्मेलन की तिथि, समय, स्थान तथा विचारार्थ विषय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये जावेंगे। यदि अध्यक्ष कार्यवाही हेतु असमर्थ हो तो उपाध्यक्ष और वह भी कार्यवाही हेतु असमर्थ हो तो सचिव द्वारा उक्त तिथि, समय तथा विचारार्थ विषयों का निर्धारण किया जावेगा। साधारण सम्मेलन के लिए मण्डी समिति के कम से कम तीन निर्वाचित सदस्य सम्मेलन प्रारंभ होने से 48 घन्टे पूर्व कोई व्यवहारिक विषय सम्मेलन की कार्य सूची में जोड़ने का आग्रह लिखित में मण्डी सचिव को देंगे तो ऐसा विषय अतिरिक्त कार्य सूची के रूप में माना जायेगा एवं समय उपलब्ध होने पर उस पर विचार किया जायेगा।	सम्मेलन के प्रकार एवं विषय सूची :- मण्डी समिति का सम्मेलन साधारण अथवा विशेष हो सकेगा। सम्मेलन की तिथि, समय, स्थान अध्यक्ष द्वारा तथा विचारार्थ विषय सचिव द्वारा निर्धारित किये जावेंगे। साधारण सम्मेलन के लिए अध्यक्ष एवं मण्डी समिति के कम से कम तीन निर्वाचित सदस्य सम्मेलन प्रारंभ होने से 48 घन्टे पूर्व कोई व्यवहारिक विषय सम्मेलन की कार्य सूची में जोड़ने का आग्रह लिखित में मण्डी सचिव को देंगे तो ऐसे विषयों को कार्यसूची में शामिल करना अनिवार्य होगा।
2	अध्याय 2 मण्डी समिति के सम्मेलन एवं कार्य की उपधारा (7) (1) के स्थान पर स्थापित किया जाये।	सम्मेलन में कार्य सम्पादन :- (1) मण्डी समिति के सम्मेलन में केवल वही कार्य सम्पादित होगा जो संबंधित सूचना में उस सम्मेलन हेतु निर्धारित किया गया हो। किन्तु विचारार्थ विषयों में निर्धारित न होते हुए भी अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित या अध्यक्ष की अनुमति से कोई आवश्यक अन्य विषय भी विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकेगा।	सम्मेलन में कार्य सम्पादन :- (1) मण्डी समिति के सम्मेलन में केवल वही कार्य सम्पादित होगा जो संबंधित सूचना में उस सम्मेलन हेतु निर्धारित किया गया हो। किन्तु विचारार्थ विषयों में निर्धारित न होते हुए भी सचिव द्वारा प्रस्तावित और अध्यक्ष की अनुमति से कोई आवश्यक अन्य विषय को अतिरिक्त एजेण्डा के रूप में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकेगा।



3	उपधारा (10) के स्थान पर स्थापित किया जाये।	<p><u>कार्यवृत पुस्तक :-</u> मण्डी समिति एक कार्यवृत पुस्तक रखेगी जिसमें प्रत्येक सम्मेलन के कार्य का देवनागरी लिपि में विवरण अभिलिखित किया जावेगा। अभिलिखित कार्य विवरण प्रत्येक सम्मेलन की समाप्ति के तत्काल पश्चात् अध्यक्ष तथ सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा। पंजी में दर्ज कार्यवाही आगामी कार्यदिवस को सदस्यों को प्रसारित की जाएगी एवं आगामी सम्मेलन में उसकी पुष्टि कराई जावेगी। भारसाधक अधिकारी नियुक्त रहने की दशा में कार्यवृत पुस्तक पर भारसाधक अधिकारी एवं सचिव हस्ताक्षर करेंगे।</p>	<p><u>कार्यवृत पुस्तक :-</u> मण्डी समिति एक कार्यवृत पुस्तक रखेगी जिसमें प्रत्येक सम्मेलन के कार्य का विवरण <u>हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि</u> में अभिलिखित किया जावेगा। अभिलिखित कार्य का विवरण प्रत्येक सम्मेलन की समाप्ति के तत्काल पश्चात् अध्यक्ष तथ सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा। पंजी में दर्ज कार्यवाही <u>विवरण 05 कार्यदिवस</u> में सदस्यों को प्रसारित की जाएगी एवं आगामी सम्मेलन में उसकी पुष्टि कराई जावेगी। भारसाधक अधिकारी नियुक्त रहने की दशा में कार्यवृत पुस्तक पर भारसाधक अधिकारी एवं सचिव हस्ताक्षर करेंगे। <u>समिति की बैठक की विडियो ग्राफी करना अनिवार्य होगा।</u></p>
4	उपधारा (12) (3) के पश्चात् नवीन उपधारा (12) (4) स्थापित की जाये।	<p><u>उप समितियों की रचना :-</u></p>	<p>मण्डी समिति द्वारा प्रांगण में नीलामी, कथ-विक्रय, तौल, भुगतान, नीलामी में भाव निर्धारण आदि विवादो एवं शिकायतों का निराकरण करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जायेगा जिसमें दो कृषक सदस्य, एक व्यापारी सदस्य एवं प्रांगण प्रभारी सदस्य सचिव रहेंगे। निर्वाचित मण्डी समिति अस्तित्व में नहीं होने पर उप समिति में प्रांगण प्रभारी एवं दो उप निरीक्षक सदस्यों के रूप में रहेंगे।</p>
5	उपधारा (14) (2) के स्थान पर स्थापित किया जाये।	<p><u>पारित प्रस्तावों का कियान्वयन :-</u> समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण 7 दिन के भीतर क्षेत्रिय कार्यालय के संयुक्त संचालक/उपसंचालक को प्रेषित किया जायेगा। विधि विरुद्ध लिये गये समिति के किसी निर्णय का कियान्वयन संयुक्त संचालक/उपसंचालक द्वारा स्थगित किया जायेगा, किन्तु इसके पूर्व सचिव को सुना जायेगा।</p>	<p><u>पारित प्रस्तावों का कियान्वयन :-</u> समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण 7 दिन के भीतर क्षेत्रिय कार्यालय के संयुक्त संचालक/उपसंचालक को प्रेषित किया जायेगा। ऐसे प्रस्ताव जिसमें सचिव द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज की गई है, उस ठहराव का कियान्वयन</p>



		<p>सचिव को सुनने के बाद संयुक्त संचालक/उपसंचालक को अधिकार होगा कि वह विधि विरुद्ध पाये गये किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर दें।</p>	<p>आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जायेगा। आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक द्वारा विधि विरुद्ध लिये गये समिति के किसी निर्णय का क्रियान्वयन संयुक्त संचालक/ उपसंचालक द्वारा स्थगित किया जायेगा, किन्तु इसके पूर्व सचिव को सुना जायेगा। सचिव को सुनने के बाद संयुक्त संचालक/उपसंचालक को अधिकार होगा कि वह विधि विरुद्ध पाये गये किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर दें।</p>
5	<p>अध्याय 4 विपणन का नियंत्रण की कण्डिका (16) (1) (छ) के स्थान पर स्थापित किया जाये।</p>	<p><u>अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय :-</u> वाहनों के प्रवेश एवं नीलामी के लिये कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय मैनुअल अध्याय-छः में दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा। औसत अच्छे किस्म (एफ.ए.क्यू.) की कृषि उपज के लिये घोषित समर्थन मूल्य से कम पर बोली प्रारंभ नहीं होगी। एक बोली से दूसरी बोली का अंतर एक रूपये से कम का नहीं होगा। (दिनांक 15.05.2008 द्वारा पुनः संशोधित)</p>	<p><u>अधिसूचित कृषि उपज का क्रय-विक्रय :-</u> वाहनों के प्रवेश एवं नीलामी के लिये कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय मैनुअल अध्याय-छः में दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा। औसत अच्छे किस्म (एफ.ए.क्यू.) की कृषि उपज के लिये घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बोली प्रारंभ नहीं होगी। एक बोली से दूसरी बोली का अंतर एक रूपये से कम का नहीं होगा। मण्डी प्रांगण में यथासंभव ग्रेडिंग की व्यवस्था उपलब्ध करी जायेगी। जिन मण्डी समिति में ग्रेडिंग सुविधा उपलब्ध है उसमें शासन द्वारा जिन कृषि उपज की औसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू.) निर्धारित है उसका मण्डी में ग्रेडिंग अन्तर्गत एफ.ए.क्यू. के समान मापदण्ड पाये जाने पर संबंधित कृषि उपज का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बोली प्रारंभ नहीं होगी।</p>

Handwritten signature

<p>उपविधि की कण्डिका (16) (3) के पश्चात् (16) (3) क स्थापित की जाये।</p>	<p>नीलाम की बोली स्पष्ट लगाई जावेगी जिसका कि विक्रेता/कृषक को भी ज्ञान हो सके। घोष विक्रय में किसी भी प्रकार के इशारों और संकेतों का प्रयोग नहीं किया जावेगा। (दिनांक 07.11.2017)</p>	<p>नीलाम की बोली स्पष्ट लगाई जावेगी जिसका कि विक्रेता/कृषक को भी ज्ञान हो सके। घोष विक्रय में किसी भी प्रकार के इशारों और संकेतों का प्रयोग नहीं किया जावेगा।</p> <p>(क) <u>घोष विक्रय के दौरान इशारो एवं संकेतो का प्रयोग, (कॉर्टलाईजेशन) दुरभि-संधि, कर प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने का प्रयास संज्ञान में आने पर अथवा विक्रेता/कृषक द्वारा शिकायत करने पर मण्डी की उप समिति द्वारा मामले का स्थल पर ततपरता पूर्वक निराकरण करा जायेगा। उप समिति की रिपोर्ट पर मण्डी समिति द्वारा उक्त अनियमितता में संलग्न पाये गये मण्डी कृतकारी को प्रथम बार चेतावनी दी जा सकेगी, दुसरी बार अनियमितता में संलग्न पाये जाने पर आर्थिक दण्ड तथा निरंतर अनियमितता की पुनर्वृत्ति करने पर कय-विक्रय पर रोक, अनुज्ञप्ति का निलंबन, अथवा अनुज्ञप्ति निरस्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही मण्डी समिति द्वारा करी जायेगी।</u></p>
<p>उपविधि की कण्डिका 16 (6) के स्थान पर स्थापित किया जाये।</p>	<p>उपविधि 16 (5) के अंतर्गत विक्रय निरस्तीकरण शुल्क एक रुपया वसूल किया जावेगा। ऐसी कृषि उपज का घोष विक्रय, उस दिन के नियमित घोष विक्रय की समाप्ति के पश्चात् पुनः किया जावेगा और पुनः निरस्त होने पर विक्रय निरस्तीकरण शुल्क वसूल नहीं किया जावेगा।</p>	<p>उपविधि 16 (5) के अंतर्गत विक्रय निरस्तीकरण शुल्क <u>दस रुपया</u> वसूल किया जावेगा। ऐसी कृषि उपज का घोष विक्रय, उस दिन के नियमित घोष विक्रय की समाप्ति के पश्चात् पुनः किया जावेगा और पुनः निरस्त होने पर विक्रय निरस्तीकरण शुल्क वसूल नहीं किया जावेगा।</p>

Signature

6	<p>उपविधि की कण्डिका (17) (2) के स्थान पर स्थापित किया जाये।</p> <p>उपविधि की कण्डिका (17) (4) के पश्चात् कण्डिका (17) (2) क स्थापित की जाये।</p>	<p>अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के निष्पादन के पश्चात् की प्रक्रिया :- सौदा पत्रक के आधार पर क्रय की गई कृषि उपज की तौल सौदा पत्रक में उल्लेखित स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा की जाएगी।</p> <p>अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के निष्पादन के पश्चात् की प्रक्रिया :- अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक एवं तौल पर्ची के आधार पर क्रेता द्वारा विक्रेता/कृषक के पक्ष में कमशः सफेद, हरा, गुलाबी रंग की तीन प्रतियों में संशोधित भुगतान पत्रक निष्पादित किया जाएगा। प्रारूप-चार सफेद प्रति मूल प्रति होगी शेष नीचे की दो प्रति में से हरे रंग की प्रति विक्रेता/कृषक को तथा गुलाबी रंग की प्रति मण्डी समिति को यथासंभव उसी दिन अथवा यथाशीघ्र आगामी कार्य दिवस में प्रस्तुत की जाएगी। विक्रेता/कृषक को भुगतान प्राप्ति की पुष्टि कोने के उपरांत ही संबंधित क्रेता व्यापारी से कृषि उपज पर मंडी फीस प्राप्त कर, अनुज्ञा पत्र जारी, निकासी की अनुमति दी जा सकेगी। (आदेश दिनांक 20.11.2017)</p>	<p>अनुबंध पत्रक/सौदा पत्रक के निष्पादन के पश्चात् की प्रक्रिया :- सौदा पत्रक के आधार पर क्रय की गई कृषि उपज की तौल सौदा पत्रक में उल्लेखित स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी तुलैया द्वारा की जाएगी। बी.ओ.टी. तौल कांटे से जारी इलेक्ट्रॉनिक तौल पर्ची मान्य होगी।</p> <p>17 (4) (क) यदि क्रेता व्यापारी कम्प्यूटर आधारित (डिजिटल) भुगतान पत्रक जारी करता है तो मण्डी समिति द्वारा भुगतान पत्रक कमांक हेतु यूनिक नंबर प्रदान किया जायेगा। क्रेता व्यापारी तीन प्रतियों में भुगतान पत्रक जारी कर सकेगे। प्रथम प्रति मण्डी को, द्वितीय विक्रेता को तथा तृतीय प्रति क्रेता को दिया जायेगा।</p>
8	<p>उपविधि की कण्डिका 18 (2) के स्थान पर स्थापित किया जाये।</p>	<p>अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन :- अधिनियम की धारा 31 में उल्लेखित कृत्यकारी एवं उपविधि कमांक 2 (घ) में उल्लेखित कृत्यकारी अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति (लायसेंस) प्राप्त करने के लिये यथास्थिति प्रारूप-पांच 'अ' या प्रारूप-पांच 'अ' (एक) या पांच 'ब' या पांच 'स' में आवेदन प्रस्तुत करेगा। प्रारूप-पांच 'अ' हरे रंग के कागज पर होगा प्रारूप-पांच 'अ' (एक) गुलाबी रंग के कागज पर होगा प्रारूप-पांच 'ब'</p>	<p>अधिनियम की धारा 31 में उल्लेखित कृत्यकारी एवं उपविधि कमांक 2 (घ) में उल्लेखित कृत्यकारी अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति (लायसेंस) प्राप्त करने के लिये यथास्थिति प्रारूप-पांच 'अ' या प्रारूप-पांच 'अ' (एक) या पांच 'ब' या पांच 'स' में आवेदन प्रस्तुत करेगा। प्रारूप-पांच 'अ' हरे रंग के कागज पर होगा प्रारूप-पांच 'अ' (एक)</p>



लाल रंग के कागज पर होगा। जबकि प्रारूप-पांच 'स' सफेद कागज पर मुद्रित होगा। आवेदन फार्म मण्डी समिति द्वारा निःशुल्क प्रदाय किया जायेगा।

गुलाबी रंग के कागज पर होगा प्रारूप-पांच 'ब' लाल रंग के कागज पर होगा। जबकि प्रारूप-पांच 'स' सफेद कागज पर मुद्रित होगा। आवेदन फार्म मण्डी समिति द्वारा सशुल्क प्रदाय किया जायेगा।

अनुज्ञप्ति हेतु सभी आवेदन फार्म में जी.एस.टी पंजीयन कमांक (यदि उक्त परिधि में हो तो) एवं आधार नम्बर तथा समग्र पहचान पत्र की जानकारी ली जाये।

उपविधि की कण्डिका 18 (2) के स्थान पर स्थापित किया जाये।

अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन :- तुलैया, हम्माल, गोदामपाल, आदि के संबंध में उसके आचरण संबंधी जांच की जायेगी। आवश्यक होने पर आवेदक का पुलिस रिकार्ड भी प्राप्त किया जायेगा।

अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन :- तुलैया, हम्माल, के लिये अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ "पुलिस रिकार्ड संबंधी शपथपत्र" प्राप्त किया जायेगा। मण्डी आवश्यक समझे तो संबंधित आवेदक का पश्चातवर्ती पुलिस सत्यापन आवेदन प्राप्ति के बाद कराया जा सकेगा।

- (1) हम्माल एवं तुलावटी का आवेदक 62 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा। (दिनांक 20.11.2017 संशोधन)
- (2) आवेदक तुलावटी के लिये कम से कम (प्रायमरी स्कूल) पांचवीं कक्षा तक शिक्षित होना अनिवार्य होगा।

- (1) हम्माल एवं तुलावटी का आवेदक 62 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा।
- (2) आवेदक तुलावटी के लिये कम से कम (प्रायमरी स्कूल) पांचवीं कक्षा तक शिक्षित होना अनिवार्य होगा।

परन्तु शैक्षणिक योग्यता का प्रतिबंध पूर्व से कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी तुलावटी के अनुज्ञप्ति नवीनीकरण पर लागू नहीं होगा। (आदेश दिनांक 30.09.2008)

परन्तु शैक्षणिक योग्यता का प्रतिबंध पूर्व से कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी तुलावटी के अनुज्ञप्ति नवीनीकरण पर लागू नहीं होगा।

व्यापारियो एवं प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पश्चात् उनके संबंध में पुलिस सत्यापन प्राप्त करना सचिव के विवेकाधिकार पर होगा।



9

उपविधि की कण्डिका 19 (3) के स्थान पर स्थापित किया जाये।

अनुज्ञप्ति का निलंबित अथवा रद्द किया जाना :- कारणदर्शी सूचना पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर सचिव द्वारा परीक्षण किया जायेगा एवं नस्ती पर परीक्षण टीप अंकित की जायेगी। परीक्षण टीप के निष्कर्ष में अनुज्ञप्ति रद्द करने या न करने के संबंध में स्पष्ट अभिमत अंकित किया जायेगा। अनुज्ञप्ति निलंबित करने के सम्बन्ध में अवधि का स्पष्ट उल्लेख करते हुये स्पष्ट अभिमत अंकित किया जायेगा।

कारणदर्शी सूचना पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर सचिव द्वारा 03 कार्यालयीन कार्यदिवस की अवधि में परीक्षण किया जायेगा एवं नस्ती पर परीक्षण टीप अंकित की जायेगी। परीक्षण टीप के निष्कर्ष में अनुज्ञप्ति रद्द करने या न करने के संबंध में स्पष्ट अभिमत अंकित किया जायेगा। अनुज्ञप्ति निलंबित करने के सम्बन्ध में अवधि का स्पष्ट उल्लेख करते हुये स्पष्ट अभिमत अंकित किया जायेगा।

उपविधि की कण्डिका 19 (4) के स्थान पर स्थापित किया जाये।

अनुज्ञप्ति का निलंबित अथवा रद्द किया जाना :- अध्यक्ष द्वारा कारणों सहित नस्ती पर लिखित निर्णय पारित किया जायेगा, किन्तु आदेश तत्काल सचिव द्वारा जारी किया जाकर निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जायेगी। इसी प्रकार अनुज्ञप्ति रद्द करने के मामले में सचिव के निष्कर्षों को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा कारण सहित लिखित निर्णय पारित किया जायेगा किन्तु आदेश तत्काल सचिव द्वारा जारी किया जाकर निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जायेगी।

अध्यक्ष द्वारा कारणों सहित नस्ती प्रस्तुत होने की तारीख से 02 कार्यालयीन दिवस में लिखित निर्णय पारित किया जायेगा, जिसके अनुसार आदेश तत्काल सचिव द्वारा जारी किया जाकर निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जायेगी। इसी प्रकार अनुज्ञप्ति रद्द करने के मामले में सचिव के निष्कर्षों को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा कारण सहित लिखित निर्णय पारित किया जायेगा किन्तु आदेश तत्काल सचिव द्वारा जारी किया जाकर निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जायेगी।

सचिव द्वारा मण्डी कृतकारी की अनुज्ञप्ति को निलंबित करने की अनुशंसा पर अध्यक्ष की सहमती नहीं होने पर प्रकरण मण्डी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर 07 दिवस में निराकरण करा जायेगा।

	<p>उपविधि की कण्डिका 19 (6) विलोपित की जाये।</p>	<p><u>अनुज्ञप्ति का निलंबित अथवा रद्द किया जाना :-</u> अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द किये जाने से 30 दिन के भीतर क्षेत्रिय कार्यालय में पदस्थ संयुक्त संचालक/उपसंचालक के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।</p>	<p>यह प्रावधान मण्डी अधिनियम की धारा 34 के विपरीत होने से विलोपित करना प्रस्तावित है।</p>																																																																						
10	<p>उपविधि की कण्डिका 20 (12) के स्थान पर स्थापित की जाये।</p>	<p><u>प्रवेश शुल्क :-</u> अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डी प्रांगण में प्रवेश करने वाले ऐसे वाहन जो कि किराया (भाड़ा) पर चलते हो, उनसे न्यूनतम निम्न दरों से प्रवेश शुल्क वसूल किया जाएगा मंडी बढ़ा सकेगी।</p> <table border="1" data-bbox="493 582 1268 962"> <thead> <tr> <th>क</th> <th>वाहन का प्रकार</th> <th>प्रतिदिन प्रवेश शुल्क</th> <th>मासिक प्रवेश शुल्क</th> <th>वार्षिक प्रवेश शुल्क</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>ट्रक</td> <td>रु0 5.00</td> <td>रु0 125.00</td> <td>रु0 1375.00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>मेटाडोर</td> <td>रु0 2.00</td> <td>रु0 50.00</td> <td>रु0 550.00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>ट्रेक्टर ट्राली</td> <td>रु0 2.00</td> <td>रु0 50.00</td> <td>रु0 550.00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>तीन पहिये आटो वाहन</td> <td>रु0 2.00</td> <td>रु0 30.00</td> <td>रु0 550.00</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>बैलगाड़ी</td> <td>रु0 1.00</td> <td>रु0 25.00</td> <td>रु0 275.00</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>हाथटेला</td> <td>रु0 1.00</td> <td>रु0 25.00</td> <td>रु0 275.00</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>साइकिल रिक्शा</td> <td>रु0 1.00</td> <td>रु0 25.00</td> <td>रु0 275.00</td> </tr> </tbody> </table>	क	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन प्रवेश शुल्क	मासिक प्रवेश शुल्क	वार्षिक प्रवेश शुल्क	01	02	03	04	05	01	ट्रक	रु0 5.00	रु0 125.00	रु0 1375.00	02	मेटाडोर	रु0 2.00	रु0 50.00	रु0 550.00	03	ट्रेक्टर ट्राली	रु0 2.00	रु0 50.00	रु0 550.00	04	तीन पहिये आटो वाहन	रु0 2.00	रु0 30.00	रु0 550.00	05	बैलगाड़ी	रु0 1.00	रु0 25.00	रु0 275.00	06	हाथटेला	रु0 1.00	रु0 25.00	रु0 275.00	07	साइकिल रिक्शा	रु0 1.00	रु0 25.00	रु0 275.00	<p><u>प्रवेश शुल्क :-</u> अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डी प्रांगण में प्रवेश करने वाले ऐसे वाहन जो कि किराया (भाड़ा) पर चलते हो, उनसे न्यूनतम निम्न दरों से प्रवेश शुल्क वसूल किया जाएगा, मंडी बढ़ा सकेगी।</p> <table border="1" data-bbox="1308 616 1944 908"> <thead> <tr> <th>क</th> <th>वाहन का प्रकार</th> <th>प्रतिदिन प्रवेश शुल्क</th> <th>मासिक प्रवेश शुल्क</th> <th>वार्षिक प्रवेश शुल्क</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>बड़ा ट्राला</td> <td>रु0 20.00</td> <td>रु0 500.00</td> <td>रु0 5500.00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>ट्रक</td> <td>रु0 10.00</td> <td>रु0 250.00</td> <td>रु0 2750.00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>मेटाडोर एवं अन्य छोटे वाहन</td> <td>रु0 5.00</td> <td>रु0 125.00</td> <td>रु0 1375.00</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>ट्रेक्टर, बैल गाड़ी, हाथ टेला तथा साइकिल प्रवेश शुल्क से मुक्त होंगे, परन्तु किसी भी परिवहन के साधन से मण्डी प्रांगण में लाई गई कृषि उपज की आवक की प्रवेश पर्ची जारी करना अनिवार्य होगा।</u></p>	क	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन प्रवेश शुल्क	मासिक प्रवेश शुल्क	वार्षिक प्रवेश शुल्क	01	02	03	04	05	01	बड़ा ट्राला	रु0 20.00	रु0 500.00	रु0 5500.00	02	ट्रक	रु0 10.00	रु0 250.00	रु0 2750.00	03	मेटाडोर एवं अन्य छोटे वाहन	रु0 5.00	रु0 125.00	रु0 1375.00
क	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन प्रवेश शुल्क	मासिक प्रवेश शुल्क	वार्षिक प्रवेश शुल्क																																																																					
01	02	03	04	05																																																																					
01	ट्रक	रु0 5.00	रु0 125.00	रु0 1375.00																																																																					
02	मेटाडोर	रु0 2.00	रु0 50.00	रु0 550.00																																																																					
03	ट्रेक्टर ट्राली	रु0 2.00	रु0 50.00	रु0 550.00																																																																					
04	तीन पहिये आटो वाहन	रु0 2.00	रु0 30.00	रु0 550.00																																																																					
05	बैलगाड़ी	रु0 1.00	रु0 25.00	रु0 275.00																																																																					
06	हाथटेला	रु0 1.00	रु0 25.00	रु0 275.00																																																																					
07	साइकिल रिक्शा	रु0 1.00	रु0 25.00	रु0 275.00																																																																					
क	वाहन का प्रकार	प्रतिदिन प्रवेश शुल्क	मासिक प्रवेश शुल्क	वार्षिक प्रवेश शुल्क																																																																					
01	02	03	04	05																																																																					
01	बड़ा ट्राला	रु0 20.00	रु0 500.00	रु0 5500.00																																																																					
02	ट्रक	रु0 10.00	रु0 250.00	रु0 2750.00																																																																					
03	मेटाडोर एवं अन्य छोटे वाहन	रु0 5.00	रु0 125.00	रु0 1375.00																																																																					

[Handwritten Signature]

11	<p>उपविधि की कण्डिका (24) (7) के पश्चात् नवीन कण्डिका (24) (8) (1) एवं (24) (8) (2) स्थापित की जाये।</p>	<p>मण्डी प्रांगण में कृषि उपज की नाप तौल एवं उपकरणों का रख-रखाव :- (7) निरीक्षण के समय अधिक मात्रा में पाई गई कृषि उपज को निरीक्षणकर्ता द्वारा अभिग्रहित किया जावेगा एवं वह आगामी दिवस में खुले घोष विक्रय में बेच दी जावेगी। किसी विशिष्ट विक्रेता कि शिकायत के आधार पर निरीक्षण किया गया है तब शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत के अनुसार कृषि उपज वापिस की जावेगी।</p>	<p>8 (1) मण्डी प्रांगण में नियमन व्यवस्था हेतु नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन तौल प्रारंभ होने के पूर्व रेण्डम तौल पर मण्डी/बी.ओ.टी./व्यापारियों के इलेक्ट्रानिक तौल कांटो/वेब्रीज का संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण की कार्यवाही को निरीक्षण पंजी में दर्ज कर उपस्थित पक्षकारों के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।</p> <p>8 (2) नापतौल विभाग के प्रचलित नियमों के तहत मण्डी प्रांगण में उपयोग होने वाले समस्त इलेक्ट्रानिक तौल कांटो/वेब्रीज का सत्यापन (स्टेपिंग) कराया जाना अनिवार्य होगा।</p>
----	--	--	---

9/10